

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

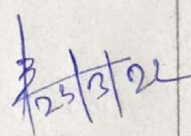
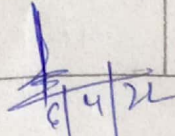
आदेश फलक

वाद संख्या :- ५/प्र.सा.वि/२०२२-२३

नाम :- प्रधान देवान

पिता :- सिरान देवान

मौजा :- खेडियांगर

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3
23/3/22	आज दिनांक 23/3/22 को आवेदक प्रधान देवान, पिता- सिरान देवान, ग्राम- खेडियांगर के द्वारा मौजा खेडियांगर थाना सं०- 208, खाता सं०- 1, प्लॉट सं०- 3334, रकबा- 0.33 ए, किस्म जमीन इगरी में विवाद के संबंध में सरकारी प्रतिके अधिकार के संबंध में आवेदन किया गया है अतः उक्त के आलोक में ईलाका मानकी/ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 6/4/22 तक करें। अभिलेख दिनांक- 6/4/22 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी तांतनगर। 6/4/22 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक, ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन एवं क्षेत्र निरीक्षक को जाँच प्रतिवेदन दायर है। उनके फा. जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अभिलेख दिनांक 6/4/22 को उपस्थापित करें।  6/4/22	

पा 172

अभिलेख उपस्थापित!

गामीन मुन्डा, राजल उम निरीक्षक, अंचल अफीन एवं अंचल निरीक्षक का जॉय प्रतिकेस प्राप्त है। एवं देनो पत्र भी उपस्थित हुए। गामीन मुन्डा, राजल उम निरीक्षक, अंचल अफीन जोर अंचल निरीक्षक के जॉय प्रतिकेस के अनुसार भोजा-वर्द्धि-

रंगर चाना 9-208 खाल-1 पॉर 3337 कुल रकम -0.35 ए डिमन मदीन हुगरी जो सरकारी मदि है उक्त मदीन पर पूर्व में 29/6/1986 को पूर्व गामीन मुन्डा के द्वारा वगराई देवगन पिना-एक खिरम देवगन को कलपी वंडोवली की गई है जिसपर वे एक बना कर निवास कर रहे थे वर्तमान में वगराई देवगन की मृत्यु हो चुकी है डाके भाई प्रव्दान देवगन द्वारा वर्तमान में पॉर 3337 पर वी प्रपर पर निवास किया जा रहा है श्री प्रव्दान देवगन द्वारा अपरि विधा गया है कि पॉर 3337 में में दक्षिणी दोर पर स्थित पत्थर का शक्ति देवगन (शामेल देवगन) द्वारा छोटाई की जा रही है इस पर शक्ति देवगन के द्वारा भी दिनांक 16/06/03 को इलाका मानसी के द्वारा उक्त पॉर पर 0.24 ए मदि मदि का कलपी वंडोवली वाले डागज शक्ति देवगन द्वारा प्रलुन की गई।

गामीन मुन्डा/भावी, राजल उम निरीक्षक अंचल अफीन एवं अंचल निरीक्षक के जॉय प्रतिकेस का अब लेकन किया गया। देनो पत्र को दिनांक पा 5122 को उपस्थित होने के लिए प्रत्युत किया गया।

16/1/22

पा 5122

अभिलेख उपस्थापित!

दिनांक पा 5122 को देनो पत्र उपस्थित नहीं हो पारने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चुनाव 2022 के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष के मध्यमतर पुनः देनो पत्र के चुनाव समिति के पश्चात दिनांक 15/6/22 को उपस्थित होने के लिए गामीन मुन्डा के माध्यम से सूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 15/1/22 को उपस्थापित करें।

16/1/22

15/8/22

अभिलेख उपस्थापित।

दिनांक 15/8/22 से दोनो पत्र उपस्थित हुए दोनो पत्र ले वारी - वारी ले बचान ली गई एवं उनके द्वारा कच्ची बंदोवस्ती के आगजात की मांग की गई दोनो द्वारा प्रस्तुत आगजात का अवलोकन किया गया प्रधान देवगण द्वारा प्रस्तुत आगजात के दिनांक 29/1/86 के पूर्व पुण्डा द्वारा उक्त प्लॉट से कच्ची बंदोवस्ती की गई जबकि आतिश देवगण द्वारा प्रस्तुत आगजात के दिनांक 16/1/2013 को उली प्लॉट पर पुनः इलाका मानवी द्वारा कच्चा बंदोवस्ती कर दी गई इस संबंध में इलाका मानवी के मुझे ज्ञान पर पर उन्होंने बताया कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी उक्त भूमि का बंदोवस्ती कच्ची के की गई है क्योंकि प्रधान देवगण द्वारा मुझे बंदोवस्ती वाली आगजात नहीं दिखलाई गई। पुनः राजस्व उप निरीक्षक दोनो पत्र के हिस्से की जमीन के संबंध में मांग प्रविश की मांग की गई।

अभिलेख दिनांक 13/7/22 को उपस्थापित करें।

13/7/22

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक का मांग प्रविश प्राप्त है। उनसे मांग प्रविश पुनः प्राप्त करें।

अभिलेख दिनांक 10/8/22 को उपस्थापित करें।

10/8/22

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक का मांग प्रविश प्राप्त हुआ उन्होंने मांग प्रविश के प्रविशित किया है कि जमीन से प्रत्येक इलाका मानवी के प्राप्त मानकारी के अनुसार दोनो के हिस्से के आगजात 2 एर प्रति है। राजस्व उप निरीक्षक के मांग प्रविश का अवलोकन किया गया। दोनो पत्रों के दिनांक

10/8/22 को उपस्थित होने के लिए व्यक्ति किया गया।
अभिनेय दिनांक 10/8/22 को उपस्थित रहे।

10/8/22

10/8/22

अभिनेय उपस्थित!

दिनांक 10/8/22 को दोनों पक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हुए दोनों पक्ष पक्ष द्वारा, एक प्रत्युत अगस्त के पुनः अवलोकन किया गया जिसमें यह पाई गई कि दिनांक 21/6/86 में संशोधनी की गई कच्ची अगस्त में मात्र 10 एवं दिनांक 16/6/2013 में संशोधनी की गई कच्ची अगस्त में मात्र 25 एमएस का हल्ला कर है। दोनों पक्ष के द्वारा सहमति जागई कि हमारे द्वारा उक्त हल्ला को जारी कर दिया जायेगा तो हम दोनों के बीच मजिस्ट्रेट के किसी प्रकार का विचार नहीं होगी। उनके अमानत का अवलोकन के पक्षों पर उनके कच्ची संशोधनी के को फिर रद्द करने का निर्णय भी गई एवं किसी पक्ष में पक्षों द्वारा उक्त हल्ला का पक्ष संशोधनी करने का निर्देश देते हुए पाई गई कि उक्त हल्ला में किसी प्रकार का निर्णय कार्य से दोनों पक्ष के द्वारा नहीं किया जाये कोर अंतिम अवस्था बनाये एवं मजिस्ट्रेट उन पर अन्तर्गत आम्बुनी आरवाई की जायेगी उक्त निर्णय के साथ सुनवाई प्रक्रिया समाप्त की गई।

10/8/22